संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि और शासन की बढ़ती जटिलताओं के परिणाम स्वरूप संसद बहुत हद तक अपनी समितियों पर निर्भर है ताकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (डीआरएससी) एक विशेष प्राधिकारी होती हैं जिन्हें मंत्रालय/विभाग के भारी और जटिल कार्यों की विशेष रूप से निगरानी करने का अधिदेश प्राप्त है, इसलिए संसद इन समितियों के माध्यम से अपना बहुत सारा कार्य करती है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है जिसका गठन लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ग के अंतर्गत किया जाता है। भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं :-

(एक) संचार मंत्रालय;

(क) डाक विभाग

(ख) दूरसंचार विभाग

(दो) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; और

(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

समिति की संरचना

समिति में 31 सदस्य होते हैं जिनमें से 21 सदस्यों का नामनिर्देशन अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा और 10 सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्यसभा द्वारा किया जाता है। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा समिति में लोक सभा के सदस्यों में से की जाती है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अनधिक होता है।

समिति के कार्य

समिति को निम्न कार्य सौंपे गए हैं -

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को भेजे गए हों और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालीन नीति दस्तावेजों पर विचार करना, यदि वे अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को भेजे गए हों और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

समिति का कार्यकरण

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया

सदन में बजट पर आम चर्चा समाप्त होने के उपरांत लोक सभा एक नियत अवधि के लिए स्थगित हो जाती है। समिति उक्त अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और इन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत/सभा पटल पर रखती है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का अनुदान की मांगों पर पृथक प्रतिवेदन होता है। अनुदान की मांगों से संबंधित प्रतिवेदन में

कटौती प्रस्ताव की प्रकृति वाले किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं होते हैं। समिति के प्रतिवेदनों के आलोक में सभा अनुदान की मांगों पर विचार करती है।

विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया

समिति केवल उन्हीं विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें दोनों में से किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया गया हो और अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसे भेजा जाए। समिति उसे भेजे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है तथा दिए गए समय के अंदर उन पर प्रतिवेदन तैयार करती है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच से संबंधित प्रक्रिया

समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर जांच करने के लिए अन्य विषयों का चयन भी करती है।

राष्ट्रीय दीर्घकालीन नीति दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया

समिति संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय दीर्घकालीन नीति दस्तावेजों और अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा द्वारा उसे भेजे गए इन दस्तावेजों पर विचार करती है और ऐसे दस्तावेजों पर प्रतिवेदन तैयार करती है।

उप-समितियों/अध्ययन समूहों की नियुक्ति

समिति अपने द्वारा चयनित विषयों का विस्तृत अध्ययन/जांच करने और मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार

द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने तथा प्रक्रियागत एवं सामान्य मामलों पर विचार करने के लिए अपने सदस्यों में से उप-समितियों/अध्ययन समूहों की नियुक्ति कर सकती है। समिति का सभापति उप-समिति/अध्ययन समूह के सदस्यों में से उप-समिति का सभापति/संयोजक/वैकल्पिक संयोजक नियुक्त करेगा ।

तत्स्थानिक दौरा/अध्ययन दौरा

जांचाधीन विषयों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से समिति या उसकी उप-समिति(यां)/ अध्ययन समूह अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं/संस्थापनाओं का तत्स्थानिक दौरा, यदि आवश्यक हो, कर सकती है।

प्रतिवेदन और कार्यवृत्त

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें उनके प्रतिवेदन में शामिल होती हैं जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार किए जाने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन किए जाने के उपरांत सभापति और प्राधिकृत सदस्यों द्वारा लोकसभा को प्रस्तुत/ राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त भी प्रतिवेदन के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाता है।

की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशों में अनुनय का भाव होता है और इन्हें समिति की सुविचारित राय माना जाता है। अनुदानों की मांगों और विधेयकों जिन पर समिति प्रतिवेदन देती है, उन पर समिति की सिफारिशों के आलोक में सभाओं द्वारा विचार किया जाता है। अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों और अन्य विषयों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर करवाई करना और 3 माह के अंदर उन पर की गई करवाई उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की गई करवाई टिप्पण पर समिति द्वारा जांच की जाती है और उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत/ राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

समिति की कार्यवाही, प्रारूप प्रतिवेदनों और कार्यवाही सारांशों को संसद में संबंधित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय माना जाता है।

अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73क के अंतर्गत मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

निदेश 73क के संदर्भ में, संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा में छह माह में एक बार वक्तव्य देते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जाता है।

समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

अब तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने संसद में 341 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। लोक सभा-वार विवरण निम्न है-

लोक सभा	कार्यकाल	प्रस्तुत प्रतिवेदन			
		अनुदानों की मांगे	विषय	विधेयक	की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन
10वीं लोक सभा	*1991-1996	06	07	04	12
11वीं लोक सभा	1996-1998	06	03	01	05
12वीं लोक सभा	1998-1999	06	05	00	04
13वीं लोक सभा	1999-2004	15	16**	02	32
14वीं लोक सभा	2004-2009	20	09	03	36
15वीं लोक सभा	2009-2014	20	05	04	24
16वीं लोक सभा	2014-2019	20	10	00	30
17वीं लोक सभा	2019-2020	08	00	01	03
	2020-2021	04	01	00	08
	2021-2022	04	02	00	05
कुल		**109**	**58**	**15**	**159**
कुल योग					**341**

* समिति का पहली बार गठन 10 वीं लोक सभा के दौरान 8 अप्रैल, 1993 को हुआ था। यह समिति 1998-99 तक संचार संबंधी समिति के नाम से जानी जाती थी। जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इसके अधिदेश के अंतर्गत लाया गया तब 1999-2000 के कार्यकाल से समिति का पुन: नामकरण सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के रूप में हुआ। समिति का नाम दिनांक 23 नवंबर, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति से बदल कर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया है।

** समिति के श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और शिमला के अध्ययन दौरा संबंधी एक प्रतिवेदन शामिल है।